न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 41/2023 G.C.M.S. No. 2023/368 दर्ज दिनांक : 22.08.2023

अपीलार्थी:

1. मंजु पुत्री पुनमचंद पत्नि सत्यनारायण, जाति रावल, उम्र 78 वर्ष, निवासी 82, बड़ी ब्रह्मपुरी, पाली तहसील व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. रविकांत पुत्र जगतारसिंह, जाति अरोड़ा, उम्र बालिग, निवासी पटियाला पंजाब के आम मुख्तियार श्री राजेश परनामी पुत्र जसराज परनामी, निवासी अबोहर, पंजाब
2. तहसीलदार साहब, सुमेरपुर जिला पाली।
3. स्वर्गीय पुनमचंद पुत्र मगाजी, एवं सोनी बाई पत्नि पुनमचंद रावल ब्राह्मण के कायम मुकामः–

3/1 स्वर्गीय गोविंदराम पुत्र पुनमचंद के कायम मुकामः–

3/1/1 महेशकुमार पुत्र स्वर्गीय गोविंदराम

3/1/2 राजेशकुमार पुत्र स्वर्गीय गोविंदराम

3/1/3 राधा पुत्री स्वर्गीय गोविंदराम

3/1/4 अरूणा पुत्री स्वर्गीय गोविंदराम

3/1/5 संतोष पुत्री स्वर्गीय गोविंदराम

3/2 दुर्गादेवी पुत्री स्वर्गीय पुनमचंद

3/3 नंदा पुत्री स्वर्गीय पुनमचंद

3/4 रेखा पुत्री स्वर्गीय पुनमचंद

3/5 रमेशकुमार पुत्र स्वर्गीय पुनमचंद, जातिगण रावल ब्राह्मण, उम्र बालिग, निवासीगण तखतगढ़, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 23/2023 बअनवान रविकांत बनाम तहसीलदार सुमेरपुर में पारित आदेश दिनांक 02.08.2023

पैरोकारः–

1. श्री अशोक अरोड़ा, श्री तरूण उपाध्याय, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री दौलत मकवाणा, श्री पवन मेवाड़ा, श्री मोहब्बतसिंह देवड़ा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांक: 29.09.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 23/2023 बअनवान रविकांत बनाम तहसीलदार सुमेरपुर में पारित आदेश दिनांक 02.08.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

यह कि अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद रेस्पोंडेंट संख्या 1, 2 व शंकरलाल पुत्र किस्तुर जी के विरूद्ध धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सरहद मौजा तखतगढ़ में स्थित कृषि भूमि पुराने खसरा संख्या 360 रकबा 27 बीघा 5 बिस्वा आराजी के संबंध में प्रस्तुत कर घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जोकि विधिसम्मत नहीं हैं। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय और डिक्री में यह दर्ज किया कि उनके न्यायालय द्वारा पारित डिक्री और निर्णय दिनांक 03.02.2017 को अपीलीय कोर्ट माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 31.01.2020 के द्वारा अपास्त कर दिया। जबकि योग्य अधिन न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.02.2017 के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी पाली के न्यायालय में कोई अपील किसी भी पक्षकार द्वारा नहीं की गई थीं और राजस्व अपील अधिकारी पाली ने योग्य अधिन न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.02.2017 को कभी भी अपास्त नहीं किया था। इस प्रकार योग्य अधिन न्यायालय ने अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी का कोई निर्णय नहीं होते हुए भी काल्पनिक रूप से अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 31.01.2020 को आधार बनाकर अपीलाधीन आदेश, डिक्री पारित की हैं। इसके अतिरिक्त विधि का सुस्थापित सिद्धान्त हैं कि किसी भी पक्षकार के विरूद्ध कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे विधि अनुसार जवाब सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में स्वीकृत रूप से रविकांत ने जो प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया था और जो योग्य अधीन न्यायालय द्वारा अलग से दर्ज किया गया था, उसके कोई नोटिस कभी भी अपीलार्थी के नाम जारी नहीं हुए और उसके कोई नोटिस कभी भी अपीलार्थी पर व्यक्तिगत रूप से तामिल नहीं हुए और उसके कोई नोटिस अपीलार्थी को नहीं दिये गये और अपीलार्थी को इस प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. का निस्तारण करने से पूर्व जवाब, सुनवाई, साक्ष्य पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया और अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश, डिक्री पारित की गई हैं। इसके साथ ही प्रकरण में रविकांत द्वारा जो धारा 144 सी.पी.सी. का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था उसमें दिनांक 10.02.2023 को वादग्रस्त कृषि भूमि की मौका एवं रिकार्ड की स्थिति को यथावत बनाये रखने के आदेश पारित किये गये थें। उन परिस्थितियों में भी धारा 144 सी.पी.सी. के प्रार्थनापत्र पर जो अपीलाधीन आदेश, डिक्री पारित किया गया वह पारित ही नहीं किया जा सकता था एवं योग्य अधिन न्यायालय की आदेशिकाओं का अवलोकन करने से स्पष्ट हैं कि

राजस्व अपील प्राधिकारी

दिनांक 09.02.2023 को प्रार्थनापत्र पेश हुआ था। दिनांक 10.02.2023 को धारा 144 सी.पी.सी. के प्रार्थनापत्र में एकपक्षीय बहस सुनी गई जो कि सुनी ही नहीं जा सकती थीं। क्योंकि धारा 144 सी.पी.सी. के प्रावधान तो उपर उल्लेखित अनुसार उस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, डिक्री या आदेश में कोई फेरबदल किया गया हो, उसे उल्टा गया हो, उसे किसी वाद में अपास्त किया गया हो, उपान्तरित किया गया हो तो प्रत्यास्थापन का आदेश पारित किया जाता है। कोई अंतरिम स्थगन आदेश पारित करने जैसा कोई प्रावधान धारा 144 सी.पी.सी. में हैं ही नहीं। उसके बावजूद भी योग्य अधिन न्यायालय ने दिनांक 10.02.2023 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। जबकि धारा 144 सी.पी.सी. के प्रार्थनापत्र में कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के प्रावधान ही नहीं हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रावधानों की अवहेलना कर उक्त निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जो कि सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेण्ट व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार हैः—

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बाबत वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रेकर्ड की स्थिति वाद के निर्णय तक बहाल करने प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 02.08.2023 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात का राजस्व रेकर्ड न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.02.2017 की पालना से पूर्व की स्थिति बहाल करने का आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं निर्णय व डिक्री दिनांक 02.08.2023 द्वारा न्यायालय उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा पारित किया जाना अंकित करते हुए प्रस्तुत की गई। चूंकि अपीलाधीन प्रकरण सहायक कलक्टर द्वारा पारित आदेश है न कि निर्णय व डिक्री। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण न्यायालय हाजा द्वारा धारा 223 के स्थान पर धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज रजिस्टर किया गया।
2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं हस्तगत अपील व इस पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण पुनमचंद के कायम

अपील प्राधिकारी

मुकाम वगैरह द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई घोषणा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 03.02.2017 को पारित निर्णय व डिक्री द्वारा वादपत्र स्वीकार किया गया। जिसकी पालना में नामांतरण संख्या 1815 दिनांक 30.06.2017 स्वीकृत किया जाकर भू.अ. में अमल दरामद किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 3 रविकांत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट सहित वादीगण के विरूद्ध आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 31.01.2020 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पूर्व में पारित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को अपास्त कर दिया गया। जिसके आधार पर प्रार्थी प्रतिवादी रेस्पोंडेंट रविकांत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजीयात के भू.अ. की स्थिति अपास्त, निर्णय व डिक्री से पूर्व की स्थिति बहाल करने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 02.08.2023 द्वारा स्वीकार कर भू.अ. की पूर्व स्थिति बहाल करने का आदेश दिया। चूंकि अपीलाधीन प्रकरण निर्णय व डिक्री नहीं हैं। अतः उक्त आदेश के विरूद्ध धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत न्यायालय हाजा को अपील नहीं की जा सकती। इसी प्रकार धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत न्यायालय हाजा के समक्ष प्रथम अपील केवल अधिनियम के तृतीय परिशिष्ट में उल्लेखित प्रकृति के आवेदन पर पारित अंतिम आदेश तथा ऐसे आदेश जो उक्त अधिनियम की धारा 212 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 104 में उल्लेखित है। जिन्हें सहायक कलक्टर या उपखंड अधिकारी द्वारा पारित किया गया हों। अपीलाधीन प्रकरण के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश धारा 144 सीपीसी के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, जो न तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की तृतीय अनुसूची में उल्लेखित किसी भी प्रकरण से संबंधित है व न ही अधिनियम की धारा 212 से संबंधित है तथा न ही व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 104 में यथा उपबंधित किसी प्रकरण से संबंधित है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 43 में यथा उपबंधित किसी भी अपील योग्य प्रकरण की श्रेणी में नहीं आता है। अर्थात अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रकरण व आदेश न्यायालय हाजा द्वारा प्रथम अपील के रूप में ग्राह्य, श्रवणीय व निर्णनीय क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। फलस्वरूप अपील अपीलांट पोषणीय, ग्राह्य व श्रवणीय क्षेत्राधिकार से परे होने से इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलाण्ट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पोषणीय, ग्राह्य व श्रवणीय क्षेत्राधिकार से परे होने से इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखित दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **29.09.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली

Scanned with OKEN Scanner